हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला

हि0शि0बो0 (17)गोपनीय –1 / 1 2021–25 दिनांकः 04.3.2021

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः–हि0शि0बो0(17)गो0.1 / स्थलमूल्यांकन / 1 / 2021– 16 दिनांकः–01 / 02 / 2021के क्रम को जारी रखते हुये सूचित किया जाता हे कि मार्च–2021 में आयोजित की जाने वाली दसवीं व जमा दो की परीक्षाओं (नियमित व HPSOS) से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रदेश भर के 45 उत्तरपुस्तिका वितरण एवं प्राप्ति केन्द्रं (मूल्यांकन केन्द्र) के लिये विभिन्न विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूलों से Head/ sub examiners (परीक्षक) की नियुक्ति के लिये आनलाईन सहमति पत्र आमंत्रित किये गये हैं जिसका लिंक सम्बन्धित स्कूल की User ID में उपलब्ध करवा दिया गया है।

बोर्ड नियमानुसार, **मुख्य परीक्षक** के लिये सरकारी स्कूलों के नियुक्त नियमित अध्यापक / प्राध्यापक को सम्बन्धित विषय को पढाने का अनुभव कम से कम **दस वर्ष** होना चाहिए। **उप परीक्षक** के लिये सरकारी स्कूलों के नियमित, पैरा अध्यापक तथा अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त अध्यापक / प्राध्यापक को सम्बन्धित विषय को पढाने का कम से कम **तीन वर्ष** का अनुभव होना चाहिए जबकि सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए अथवा एसएमसी शिक्षक तथा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में लगातार (Without any Break) कार्यरत अध्यापक / प्राध्यापक जो कि सम्बन्धित विषय को पढ़ाने का कम से कम **चार वर्ष** (लगातार) का अनुभव रखते हैं व **स्नातक** स्तर तक स्वयं पढ़े हैं उप परीक्षक के लिये पात्र होंगे।

अतः प्रदेश के समस्त स्कूल प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ प्रात्र प्राध्यापकों / अध्यापकों के सहमति पत्र दिनांक **31 मार्च, 2021 तक** बोर्ड वैवसाईट के माध्यम से आनलाईन अपलोड करे दें ताकि उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्यव्यवस्था को सुचारू को निष्पादित किया जा सके। यह भी सूचित किया जाता है अपलोड किये गये सहमति पत्र की हार्ड कापी अलग से बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं है यदि तकनीकी करणों से उक्त सहमति पत्र आनलाईन अपलोड नही हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में निर्धारित प्रपत्र को (Hard copy) बोर्ड कार्यालय अथवा नजदीकी पुस्तक वितरण एवं सूचना केन्द में दस्ती तौर पर दिनांक 20.3.2021 तक जमा करवाया जा सकता है।

सचिव

पृष्ठाकन संख्या : यथेपरि।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैः

1 समस्त जिला प्रबन्धक / प्रभारी, पुस्तक वितरण एवं सूचना केन्द हि0प्र0स्कूल शिक्षा बोर्ड।

2 समस्त प्रमुख, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय हिमाचल प्रदेश।

3 समस्त प्रमुख, निजि वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय हिमाचल प्रदेश।

4 प्रभारी, डाटा सैटर / आई टी0सैल , हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा को बोर्ड वैवसाईट में अपलोड करने हेतु।

सचिव